<u>संक्षिप्त प्रारूप</u>

कार्यालय कलेक्टर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
ग्राम–सांकरा, सोमनी जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /3563/ DPLCS / रू.अभि. / 2022 राजनांदगांव दिनांक 17/08/2022

// रूचि की अभिव्यक्ति //

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव ग्राम–सांकरा, सोमनी जिला–राजनांदगांव में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर/प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु **"रूचि की अभिव्यक्ति"** दिनांक 16-09-22 **शाम 05.00** बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले के वेबसाइट **www.rajnandgaon.gov.in** अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / निर्देशक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

विस्तृत प्रारूप

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव
ग्राम-सांकरा, सोमनी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /3564/ डी.पी.एल.सी.एस. / रू.अभि. / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 17-08-2022

/ / रूचि की अभिव्यक्ति / /

आवेदन की अंतिम तिथि – 16 / 09 / 2022 समय शाम 05.00 बजे तक
आवेदन पत्र खोलने की तिथि – 21 / 09 / 2022 समय दोपहर 02.00 बजे से

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव में मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर/व्यवसायों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है :–

S.No.	Sector	Course	Remark
1	2	3	4
1.	Tourism and Hospitality	Food and Beverage Service-Steward	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा
		Housekeeping Attendant (Manual Cleaning)	
2.	Management & Enterpeneurship and Professional	Unarmed Security Guard	
3.	Retail	Retail Sales Associate	
4.	BFSI	Goods & Services Tax (GST) Accounts Assistant	
5.	Leather	Stitching Operator	
		Stitcher (Goods & Garments)	
6.	Electronics & Hardware	DTH Set Top Box Installation & Service Technician	
		Mobile Phone Hardware Repair Technician	
		Solar Panel Installation Technician	
		Field Technician Other Home Appliances	
7.	AUTOMOTIVE	Automotive Service Technician Level 4	
		Driving Assistant	
		Light motor Vehicle Driver Level 3	
		Taxi Driver	
		Automotive Service Technician (Two and Three Wheelers)	
8.	CONSTRUCTION	Assistant Mason	
		Mason General	
		Mason Tiling	
		Helper Construction Painter	
		Helper Electrician	
		Assistant Electrician	
9.	Plumbing	Plumber (General)	
		Plumber General (Assistant)	

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं

1. संस्था संबंधित उक्त सेक्टर/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।

या

2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व का हो) एवं छ0ग0 शासन/भारत सरकार के अधीन संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदाय करने का 3 वर्ष का अनुभव हो।
3. छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरुप प्रशिक्षण हेतु कुशल अनुभवी प्रशिक्षक के TOT Certified होने की दशा में आवेदित संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी एवं TOT Certified प्रशिक्षक नहीं होने की दशा में यदि आवेदित संस्था का चयन किया जाता है तो उस स्थिति में चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सेक्टर/कोर्स में प्रशिक्षक का TOT प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. संस्था के पास प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की क्षमता का होना अनिवार्य होगा।
5. संस्था द्वारा विगत् वर्षों में प्रशिक्षित युवाओं के नियोजन/रोजगार की सत्यापित जानकारी (सेक्टर एवं कोर्सवार प्रशिक्षित एवं नियोजित हितग्राहियों की संख्या तथा नियोजनकर्ता संस्था का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं नियोक्ता द्वारा प्रदाय किए गए कार्यादेश की प्रति निर्धारित प्रपत्र मे संलग्न करना अनिवार्य होगा)
6. संस्था द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित सेक्टर्स में प्रशिक्षण उपरांत नियोजन/रोजगार प्रदाय करने हेतु अनुबंधित फर्म/कंपनी/नियोक्ता की जानकारी (नियोक्ता से किए गए **अनुबंध (Letter Of Intent)**) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संस्था को पूर्व में जिला कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रु0 के स्टाम्प में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)
8. संस्था के पास राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अनुभव (CSSDA/SRLM/PMKVY अथवा अन्य कौशल विकास योजना के अंतर्गत जारी कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा) तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुरुप कुशल अनुभवी प्रशिक्षक के TOT Cerified होने की दशा में आवेदित संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी एवं TOT Certified प्रशिक्षक नहीं होने की दशा में यदि आवेदित संस्था का चयन किया जाता है तो उस स्थिति में चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सेक्टर/कोर्स में प्रशिक्षक का TOT प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। ।
9. आवेदित संस्थाओं को गत् तीन वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 का टर्न ओवर की सी.ए. द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था को प्रति सेक्टर 50,000/– (पचास हजार मात्र) की दर से सुरक्षा निधि, एफ.डी.आर. के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। एफ.डी.आर. **DPLCS RJN TRAINING FUND** के नाम से पंजाब नेशनल बैंक राजनांदगांव शाखा में देय के रूप में जमा करना होगा।

11. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सफल निविदादाता को छोड़कर असफल निविदादाता को सुरक्षा निधि वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रं./एफ 10–30/2019/कौ.वि./42 नवा रायपुर दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था को नोडल अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव, ग्राम–सांकरा, सोमनी जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी सत्र हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन हेतु तय मानकों के तहत एवं समय–समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
4. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधित संस्थाओं को देने बाध्य नहीं होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform, ID card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था/ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा ही किया जाएगा, चाहे लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर अथवा लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया गया हो।
6. ट्रेनिंग पार्टनर को अनिवार्य रूप से छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को On the Job प्रशिक्षण देना होगा।
7. संस्था जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
8. सेक्टर/व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ–सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा।
10. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है, कि प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं हो, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
11. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन, काऊंसलिंग तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
12. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

13. सेक्टर/व्यवसाय विशेष हेतु आवश्यकता नहीं होने पर संबंधित सेक्टर/व्यवसाय के लिये EOI आमंत्रण स्वीकार नही किया जावेगा।

शुल्क भुगतान एवं शर्तें

1. **प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण–** मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर कार्यालय, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित दर अथवा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी के पंजीयन दौरान प्रदर्शित दर (दोनों में जो कम हो) अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जावेगा।
2. **प्रशिक्षण राशि का विभाजन :–** छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020–21 रायपुर, दिनांक 28.01.2021 द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु जारी निर्देशानुसार :–

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता –लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था –ट्रेनिंग पार्टनर		(A) भवन एवं लैब सेटअप –लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था –ट्रेनिंग पार्टनर	
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85		

3. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले समस्त प्रशिक्षण बैचो में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुरूप किया जावेगा।
4. **मुल्यांकन शुल्क का भुगतान :–** MMKVY योजनांतर्गत ABN Fee का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा जो प्रशिक्षण Cliam के साथ दिया जावेगा एवं PMKVY योजनांतर्गत Assessment & Certification Fee का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा।
5. **चयनित संस्था को प्रशिक्षण राशि का भुगतान :–** राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों गाईडलाईन के अनुरूप किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश यथावत रहेगा।

6. संस्थायें सफल अभ्यर्थियों के नियोजन हेतु भी जवाबदेही होंगी।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित विषय विषेशज्ञों की समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्डों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने का अनुभव हेतु प्रपत्र – **अ (I)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
3. पूर्व में सेक्टरवार प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या हेतु प्रपत्र – **अ (II)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
4. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन हेतु रोजगार की स्थिति हेतु प्रपत्र – **अ (III)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
5. आवेदित संस्थाएं प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शत्–प्रतिशत नियोजन हेतु Tie up किये गये कंपनी/संस्था/फर्मों/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र – **अ (IV)** में अवलोकनीय है, के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहॉ पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं **Tie up** किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/नियोक्ता से अनुबंध **(MOU)** की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी या 100/– रुपये मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर **Tie up** संस्थाओं से नियोजन किये जाने वाले हितग्राहियों की संख्या देनी होगी। इसके बिना प्रस्तुत जानकारी पर विचार नही किया जावेगा।
6. आवेदित संस्थाएं प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षणार्थियों के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिये **Tie-up** किये गये कंपनी/संस्था/फर्मों/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र – **अ (V)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
7. चयन उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ के पूर्व संस्था के पास सेक्टर/कोर्स/व्यवसायानुसार राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक **TOT Cerified** एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। (प्रपत्र – **ब (I)** एवं **ब (II)** अनुसार)

8. प्रत्येक संबंधित दस्तावेज पोर्टल या सत्यापित होना अनिवार्य हैं अन्यथा दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
9. आवेदित संस्थाओं को आवेदन किये गए संबंधित सेक्टर/जॉब रोल में प्रशिक्षण संचालन हेतु कार्ययोजना जिसमें मोबलाईजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी., नियोजन एवं नियोजित हितग्राहियों की 06 माह की ट्रेकिंग हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना को सम्मिलित किया जाए, तैयार कर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में संलग्न की जानी होगी।
10. आवेदित संस्थाओं को गत् तीन वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 का टर्न ओवर की सी.ए. द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
11. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन **Score Metrix** के आधार पर प्राप्तांको से किया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 12-09-22 शाम 04.00 बजे तक दिया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु मूल्य रू. 1,000/– (एक हजार रूपये मात्र) कार्यालय लाईवलीहुड कॉलेज, ग्राम–सांकरा, सोमानी, राजनांदगांव में केवल डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से जोकि **DPLCS RJN TRAINING FUND** के नाम से ही देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं हैं। (निविदा फार्म कार्यालय से प्राप्त करें)
3. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि 16-09-2022 शाम 05.00 बजे तक भारतीय डाक सेवा (स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट) द्वारा **कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी (ग्राम–सांकरा, सोमनी) राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड–491441** में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।
4. उक्त निविदा को दिनांक 21/09/2022 दोपहर 12.00 बजे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, ग्राम–सांकरा, (सोमनी) जिला–राजनांदगांव में समिति के समक्ष खोला जायेगा।
5. संस्थायें प्रत्येक सेक्टर/व्यवसाय हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के परिशिष्ट **(अ)** एवं **(ब)** भरा जाना अनिवार्य है।
6. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के एफ.डी.आर. सहित लिफाफा में बंद कर दिया जाना होगा।
7. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
8. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/निर्देशक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रपत्र – (अ)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी राजनांदगांव ग्राम-सांकरा, सोमनी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु

आवेदन पत्र

सेक्टर/व्यवसाय का नाम .... ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु।

जॉब रोल/ कोर्स का नाम (कोर्स कोड सहित) ....

1. संस्था का नाम :..
   (पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फैक्स नंबर ईमेल सहित) :..
   :..
2. संस्था का नाम VTP क्रमांक/पंजीयन क्रमांक :..
   (यदि संस्था एक से अधिक स्थलों में :..
   VTP के रूप में पंजीकृत है तो सभी की जानकारी, :..
   संस्था प्रमुख के नाम पता, दूरभाप नंबर की जानकारी देवे) :..
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :जिला ..../संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश
4. संस्था किन–किन कोर्सो/व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु :..
   VTP के रूप में पंजीकृत है उल्लेखित करें। :..
   :..
   :..
5. संबंधित कोर्स के लिये प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव संसाधन के व्यवसायवार सूची एवं बायोडाटा संलग्न करें :................
   (प्रपत्र– ब **(I)** अनुसार) :..
6. व्यवसायवार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें :..
   (प्रपत्र– ब **(II)** के अनुसार)
7. विभिन्न व्यवसायों में संस्था का प्रशिक्षण :..
   (अनुभव, कार्यादेश की प्रतियां प्रपत्र– अ **(I)** अनुसार संलग्न करें)
8. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या :..
   (प्रपत्र– अ **(II)** अनुसार संलग्न करें)
9. पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार में :..
   नियोजन की व्यवसायवार जानकारी देवें :..
   (प्रपत्र– अ **(III)** के अनुसार संलग्न करें)

10. संबंधित कोर्स में हितग्राहियों के लिये नियोजन की जानकारी :...

(प्रपत्र– अ **(IV)** के अनुसार संलग्न करें)

11. ओजेटी हेतु टाई अप कंपनियों का विवरण :..

(प्रपत्र–अ **(V)** के अनुसार संलग्न करें)

12. संस्था का अंकेक्षण/ऑडिट प्रतिवदेन (विगत तीन वर्षो का) :..

13. संस्था का TAN/PAN/GSTN प्रमाणित प्रति संलग्न करें :..

14. संस्था का विगत तीन वर्षों (2019–20, 2020–21, 2021–22) :..
के आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें)

15. सुरक्षा निधि की राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....
राशि .... बैंक का नाम ....

16. अन्य विवरण :..

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

<u>टीप :– आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।</u>

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती हैं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य हैं। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– अ **(I)**

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	कार्यानुभव (वर्ष में)	योजना का नाम	कार्य क्षेत्र (ग्राम / शहर, ब्लॉक, जिला, प्रांत स्पष्ट उल्लेखित करें)	रिमार्क (अनुभव में दर्शित अवधि के लिये संबंधित योजना / विभाग से अधिकृत कार्यादेश / अनुबंध कर प्रति संलग्न करेंगे)

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– अ **(II)**

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या का विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	योजना	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	रिर्माक (संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल प्रति संलग्न करें)

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– अ **(III)**

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार/स्वरोजगार की जानकारी

क्र	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	नियोजित हितग्राहियों की संख्या	नियोक्ता का नाम	पता	संपर्क नंबर

टीप :– रोजगार की दशा में नियोक्ता द्वारा नियोजित प्रशिक्षणार्थी को प्रदाय किये गये कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– अ **(IV)**

प्रस्तावित जॉब रोल/कोर्स के नियोजन हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राहियों की संख्या	नियोजन Industrial Linkage / रोजगार हेतु Tie-up Company				रिर्माक (संबंधित कंपनी से अनुबंध / स्टॉम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				आवश्यक रिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी / नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोबाईल न. व ई–मेल आई.डी.	

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– अ **(V)**

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेतु अनुबंधित कंपनियों की जानकारी

क्र	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/ कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राहियों की संख्या	ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेतु टाई–अप कंपनी/संस्था का विवरण		रिर्माक (संबंधित कंपनी/संस्था से अनुबंध/स्टॉम्प पेपर पर उक्ताशय का दस्तावेज संलग्न करें)
				कंपनी/नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	ओजेटी में भेजे जाने वाले हितग्राहियों की संख्या	

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– ब (I)

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता	सेक्टर / जॉब रोल / कोर्स का नाम	कार्यानुभव	ToT उत्तीर्ण तिथि	रिर्माक

संबंधित कोर्स संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन की जानकारी

क्र.	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिर्माक
01	मोबेलाईजर / काउंसलर				
02					
03					
04	प्लेसमेंट कोआर्डिनेटर				
05					
06					
07	कार्यालय सहायक				
08					
09					
10	अन्य स्टॉफ				

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र– ब **(II)**

प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध उपकरणों की व्यवसायवार जानकारी

क्र.	व्यवसाय का नाम	बैच साईज क्षमता	उपकरण, औजार व मशीन का नाम	ट्रेंनिग हेतु आवश्यक सेटअप	उपलब्ध	रिमार्क

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु Score Metrix

क्र.	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र
1	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	03 वर्ष तक–5 03 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक–10 05 वर्ष से अधिक–15	15	Work Order (शासन द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति)
2	संबंधित सेक्टर में पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	01–500 – 5 501–1000 – 10 1001– 1500 –15 1501 से अधिक– 20	20	Work Order (शासन द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति)
3	रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (प्रतिशत में)	20%–40% – 3 41%–60% – 5 61%–80% – 10 80% से अधिक–15	15	सेक्टरवार / योजनावार वित्तीय वर्षवार नियोजित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी
4	Industrial Linkage / रोजगार कंपनी से Tieup	5–10 – 3 11–20 – 5 21–30 – 10 31–40 – 15 40 से अधिक– 20	20	Attach Company Wise List In Participating Sector on Employes's Letter Head.
5	TOT Certified trainer	ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा (सेक्टर / कोर्स अनुसार)	15	Trainer bio data, educational certificate & TOT Certificate
6	OJT (ऑन जॉब ट्रेनिंग)	कंपनी द्वारा अनुबंध	5	Attach Company MOU copy
7	संस्था का Turnover	10-30 lacs = 3 31-50 lacs = 6 51 lacs-01 Crore = 8 Above 1 Crore = 10	10	Attach CA Certified Financial Statement Of Last Three Consecutive Years.
	कुल अंक		100	

नोट :– सेक्टरवार स्कोर के आधार पर संस्थाओं का चयन किया जावेगा।